कार्यालय नगरपालिका परिषद, खुर्जा (बुलन्दशहर)

पत्रांक: /सा0प्र0/2023-24 दिनांक: ,जनवरी,2024

–ई निविदा सूचना:–

नगर पालिका परिषद, खुर्जा सीमान्तर्गत नगर में 15 स्थलों पर यूनीपोल स्थापित कर उन पर विज्ञापन पट प्रदर्शित करने हेतु स्वीकृति दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि के लिये वेबसाइट https://etender.up.nic.in के माध्यम से दिनांक 15.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 16.02.2024 को दोपहर 02:00 बजे के बाद नगर पालिका परिषद, खुर्जा के कार्यालय में खोला जायेगा। उक्त निविदायें नगर पालिका परिषद, खुर्जा की वेबसाइट https://nppkhurja.in पर दिनांक 31.01.2024 के पश्चात देखी जा सकती हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग (प्रकाशन प्रभाग) शासन के आदेश संख्या–390/सू0एवंज0स0वि0 (होर्डिंग्स)–63/2023 लखनऊ दिनांक 28 अगस्त 2023।					
क्र0 सं0	कार्य का नाम	दर रू8.63 प्रति वर्ग फिट (बिना लाईट दोनों तरफ)	धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य जी.एस.टी. सहित	कार्य की अवधि
01	नगर पालिका परिषद, खुर्जा सीमान्तर्गत नगर में 15 स्थलों पर यूनीपोल स्थापित कर उन पर विज्ञापन पट प्रदर्शित करने हेतु।	1203840.00	120384.00	1420.00	01 माह

- **ई–निविदा की शर्तें:–**

01. निविदा सूचना एवं प्रपत्र वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।
02. निविदादाता को यू0पी0 इलैक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लि0 लखनऊ में ई–टैण्डर में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
03. निविदादाता को अद्यतन सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र तथा 20,00,000.00 की हैसियत का प्रमाण–पत्र अथवा बैंक द्वारा जारी 20,00,000.00 की बैंक गारन्टी तथा फर्म/संस्था के सालाना टर्नओवर की बैलेंस शीट जिसकी सीमा कम से कम 50,00,000.00 रू0 से कम न हो जो चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित हो ऑनलाईन अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
04. निविदादाता को निविदा शुल्क की धनराशि ऑनलाइन नगर पालिका परिषद, खुर्जा जिला बुलन्दशहर के पंजाब नैशनल बैंक के खाता संख्या–0267002100048732 आई.एफ.एस.सी. कोड PUNB0026700 में जमा करनी होगी तथा निविदादाता को अपने बैंक स्टेटमेंट/यू.टी.आर. नं0 की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
05. निविदादाता को जमानत धनराशि की एफ0डी0आर0 जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, खुर्जा के नाम बन्धक होगी की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करते हुए उसकी मूल प्रति पालिका कार्यालय में निविदा खोलने से पूर्व जमा करनी अनिवार्य होगी।
06. निविदादाता को निविदा शुल्क एवं जमानत धनराशि फर्म/संस्था के खाते से ही हस्तातंरित करनी होगी अन्यथा निविदादाता की निविदा मान्य नहीं होगी।
07. निविदादाता को निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।
08. निविदादाता द्वारा निविदा डालते समय ई–निविदा की पूर्ण जानकारी अथवा अन्य किसी कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण ई–निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
09. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार/किसी अन्य सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
10. राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता ई–निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगें।
11. जिस व्यक्ति/फर्म/संस्था की निविदा स्वीकृत होगी उसकी जमानत धनराशि ठेके की अवधि समाप्त होने तक जमा रहेगी, जिसे ठेके की धनराशि में समायोजित नहीं किया जायेगा। किसी प्रकार का देय न होने की दशा मे ठेके की अवधि समाप्त होने के पश्चात वापस कर दिया जायेगा।
12. जिन व्यक्ति/फर्म/संस्था की निविदा स्वीकृत नहीं होगी उनकी जमानत धनराशि उनके आवेदन पर वापिस कर दी जायेगी लेकिन द्वितीय निविदादाता की जमानत धनराशि प्रथम निविदादाता के पक्ष मे ठेका स्वीकृत होने तक पालिका कोष मे जमा रहेगी।
13. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकारी अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, खुर्जा में निहित होगा।
14. उच्चतम निविदादाता को उच्चतम निविद धनराशि की 1/2 धनराशि तत्काल जमा करनी होगी इस धनराशि का जमा करना निविदा स्वीकृति की गारण्टी नहीं होगी।
15. निविदा स्वीकृति के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा निविदा की शेष 1/2 धनराशि 04 समान किश्तों में प्रत्येक 06 माह में अग्रिम रूप से पालिका कोष में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि में धनराशि जमा नहीं की जाती है तो अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष महोदय को अधिकार होगा कि जमानत राशि जब्त करके ठेका निरस्त कर दें।
16. अनुज्ञप्तिधारी को निविदा स्वीकृति के दिनांक से 10 दिन की अवधि का समय स्ट्रक्चर लगाने हेतु दिया जायेगा। 10 दिन उपरान्त ठेका अवधि प्रारम्भ कर दी जायेगी जो 02 वर्ष होगी तथा निविदादाता द्वारा यदि प्रकाश सहित यूनिपोल लगाये जाते है तो उसकी दर रु27.77 प्रति वर्ग फिट होगी जो पालिका की पूर्व अनुमति लेकर लगवाये जायेंगे।

17. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ठेका धनराशि को समायन्तर्गत पालिका कोष में जमा कराया जाता है और ठेके की सभी शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है तो उस स्थिति में ठेका धनराशि में 25प्रतिशत की वृद्धि कर आगामी 02 वर्ष की अवधि के लिये ठेका नवीनीकरण पर पालिका द्वारा विचार किया जा सकता है।
18. सम्बन्धित ठेकेदार को निर्धारित दर के स्टाम्प पेपर कार्यालय में उपलब्ध कराकर नगर पालिका की शर्तों के अनुरूप अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।
19. उक्त ठेके में आयकर व जी0एस0टी0 लागू होगा तो वह ठेकेदार के द्वारा ही जमा कराया जायेगा।
20. अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष को अधिकार होगा कि पालिका एवं जनहित में ठेके की अवधि समाप्त होने से पूर्व ठेका निरस्त कर दें।
21. सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा समय–समय पर शासन/प्रशासन से प्राप्त नीति एवं आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
22. अनुज्ञप्तिधारी ठेके की अवधि में किसी अन्य विज्ञापन एजेंसी को अपना कार्य हस्तांतरित नहीं करेगा यदि ऐसा किया तो ठेका निरस्त कर जमानत धनराशि व अन्य धनराशि जो जमा है जब्त कर ली जायेगी नगर पालिका अथवा राज्य सरकार द्वारा लगाये गये विज्ञापन बोर्ड शुल्क से मुक्त होंगें।
23. अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित साइज के अनुसार ही यूनिपोल व विज्ञापन पट लगाने का अधिकार होगा। यूनिपोल चिन्हित/निर्धारित स्थलों पर ही लगाये जायेगें। बिना पूर्व अनुमति के किसी स्थल में परिवर्तन करने पर उसे अतिक्रमण मानते हुए हटवा दिया जायेगा। यूनिपोल इस प्रकार लगाये जायेंगें कि उससे यातायात एवं सफाई के कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। यातायात के नियमों का उलंघन न हो तथा शासन एवं प्रशासन को कोई आपत्ति न हो साथ ही इसका कोई कुप्रभाव यातायात व्यवस्था पर न हो।
24. अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष को अधिकार होगा कि नगर पालिका सीमा में नियमविरूद्ध लगाये गये यूनिपोल व विज्ञापन पटा को हटवा दें तथा जनहित विशेष परिस्थितियों में एवं प्रशासनिक आधार पर किसी भी यूनिपोल व विज्ञापन पट को हटाने का पूर्ण अधिकार होगा। इस एवज में नगर पालिका द्वारा कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा। किसी भी अशलील अथवा आपत्तिजनक बोर्ड को लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
25. नगर पालिका सीमा में लगे अवैध यूनिपोल व विज्ञापन पट को ठेकेदार द्वारा स्वयं हटवाया जायेगा।
26. राष्ट्रीय राजमार्ग मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित स्थानों पर यूनिपोट लगाने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।
27. यूनिपोल सड़क धरातल से निर्धारित ऊँचाई से कम पर प्रदर्शित नहीं किये जायेंगें।
28. यूनिपोल सड़क पर लगे विद्युत पोलों अथवा ट्रांसफॉर्मर पोलों से अलग ही प्रदर्शित किये जायेंगें।
29. यूनिपोल/विज्ञापन पट को ऐसे स्थान पर नहीं लगाया जायेगा, जिससे प्राईवेट, सरकारी भवन अथवा पालिका भवन का कोई भाग ढक जाता है या यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो।
30. ठेका अवधि में चुनाव आचार संहिता लागू होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचार–प्रसार हेतु किसी भी राजनैतिक दल, व्यक्ति अथवा प्रत्याशी का कोई भी विज्ञापनपट बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं लगाया जायेगा।
31. ठेके में धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसकी वसूली भू–राजस्व की भाँति की जायेगी।
32. आंधी बारिश या किसी भी प्राकृतिक आपदा से यदि किसी भी दशा में किसी को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई व उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।
33. अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा यूनिपोल हेतु लगाये जाने वाले सभी स्ट्रक्चरों का सिक्योरिटी ऑडिट भारत सरकार तथा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था/फर्म से कराकर नगर पालिका को प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा। इसके उपरान्त ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी।
34. स्ट्रक्चर लगाते समय अथवा स्ट्रक्चरों पर विज्ञापनपट लगाते समय यदि किसी प्रकार की दुघर्टना होती है तो उसके लिये सम्बन्धित ठेकेदार/अनुज्ञप्तिधारी ही जिम्मेदार होगा नगर पालिका जिम्मेदार नहीं होगी।
35. किसी भी विवाद की स्थिति में अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम निर्णय होगा तथा न्याय क्षेत्र नगर पालिका परिषद, खुर्जा होगी।
36. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यूनिपोल पर 20X10 वर्गफीट से अधिक साइज के विज्ञापनपट प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा। स्थल परिवर्तन एवं साइज परिवर्तन हेतु नगर पालिका की पूर्व अनुमति अनुमन्य होगी। मर्केट सर्वे करके निविदादाता स्वयं निर्धारित करें कि विज्ञापन एक तरफ/दोनों तरफ किया जाना लाभप्रद है।
37. चिन्हित स्थलों के अतिरिक्त यूनिपोल लगाये जाने हेतु अन्य स्थल उपयुक्त पाये जाते है तो उन स्थलों पर यूनिपोल लगाने की अनुमति अनुज्ञप्तिधारी को ठेके की धनराशि के अनुसार अग्रिम निविदा करते हुए ही प्रदान की जायेगी, जिससे निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
38. चिन्हित स्थलों की सूची संलग्न है।
39. अन्य प्रकार के विज्ञापन रूफटॉप/बस शेल्टर/विद्युत पोल/कियॉस व अन्य जो भी विज्ञापन सम्बन्धी निविदाऐं होंगी उस पर निविदादाता को कोई भी आपत्ति नहीं होगी।
40. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का ठेकेदार द्वारा उलंघन करने पर अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष महोदय को अधिकार होगा कि जमानत राशि जब्त करते हुए दी हुई अनुमति का निरस्त कर दें(ठेका समाप्त कर दें) और बोर्ड हटवा दें।
41. एक ठेकेदार एक यूनिपोल या उससे अधिक यूनिपोल के लिये निविदा डाल सकता है।
42. यदि प्रकाश रहित यूनिपोल पर प्रकाश सहित विज्ञापन किया जाना है तो प्रकाश सहित यूनिपोल का निर्धारित शुल्क जमा कराकर अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जा सकेगा।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद,
खुर्जा

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद,

कार्यालय नगरपालिका परिषद, खुर्जा (बुलन्दशहर)

—:ई—निविदा आमंत्रण सूचनाः—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, खुर्जा द्वारा नगर में 15 स्थलों पर यूनीपोल स्थापित कर विज्ञापनों का प्रचार—प्रसार कराने हेतु अनुभवी फर्मों / संस्थाओं / ठेकेदारों से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। ई—निविदा प्रपत्र उ0प्र0 की ई—प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट https://etender.up.nic.in व नगर पालिका परिषद खुर्जा की वेबसाइट https://nppkhurja.in पर देखी जा सकती है। शासनादेश संख्या 4848 / नौ—5—2018—470सा / 2018 नगर विकास अनुभाग—5 उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनॉक 10 दिसम्बर 2018 के क्रम में निविदा शुल्क+जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि पृथक—पृथक ऑनलाईन आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से पालिका कोष खाता संख्या 0267002100048732 आई.एफ.एस.सी. कोड PUNB0026700 पंजाब नैशनल बैंक खुर्जा में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कॉपी ई—निविदा के साथ संलग्न करते हुए समय से अपलोड करनी होगी।

- **यूनीपोल हेतु स्थलों का विवरणः—** (01)नवीन मण्डी, (02) अलीगढ़ चुंगी, (03) शिकारपुर पहासू तिराहा, (04) रोड़वेज बस स्टेण्ड, (05) मुंडाखेड़ा चौराहा, (06) नेहरूपुर चुंगी, (07) ककराला चौराहा, (08) दाताराम चौक, (09) सिटी स्टेशन, (10) महाराजा अग्रसैन पब्लिक स्कूल, (11) पंचवटी कॉलोनी के आगे, (12) रजवाहा पर, (13) जटिया स्कूल के पास, (14) जेवर अड्डा चौराहा, (15) श्री नवदुर्गा शक्ति मन्दिर

- **ई—निविदा तिथि एवं समय**

क्र0सं0	विवरण	दिनॉक एवं समय
01	ई—निविदा डाउनलोड / प्रारम्भ की तिथि	31.01.2024 को प्रातः 10:00 बजे से
02	ई—निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि / समय	15.02.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक
03	ई—निविदा खोले जाने की तिथि / समय	16.02.2024 को दोपहर 02.00 बजे के बाद

उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में नियम व शर्तें उत्तर प्रदेश ई—प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट https://etender.up.nic.in व नगर पालिका परिषद खुर्जा जिला बुलन्दशहर की वेबसाइट https://nppkhurja.in पर उपलब्ध है तथा पालिका के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गयी है। किसी परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त सूचनाओं के लिये उक्त वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

Praja | Singhal

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
खुर्जा।

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद
खुर्जा।

कार्यालय नगरपालिका परिषद, खुर्जा (बुलन्दशहर)

पत्रॉकः 1142 / सा0प्र0 / 2023—24 दिनॉकः 29 ,जनवरी,2024

सम्पादक / स्थानीय प्रतिनिधि
✓01: दैनिक जागरण
✓02: इण्डिया टाइम्स न्यूज
03...

महोदय,

कृपया उपरोक्त निविदा सूचना को अपने आगामी अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित कर निर्धारित डी0ए0वी0पी0 की दरों के अनुसार समाचार पत्र की 03 प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

Praja
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद खुर्जा